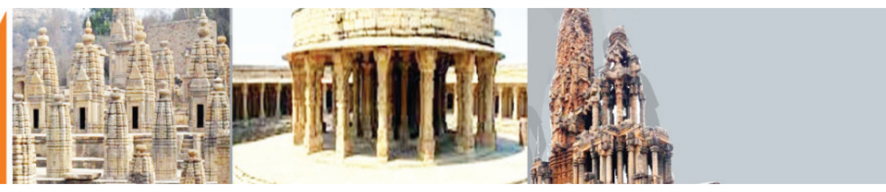

बानमोर में सर्जिकल फैक्ट्री में आग लगी, करोड़ों का नुकसान

नवभारत न्यूज

मुरैना, 17 फरवरी। औद्योगिक क्षेत्र बानमोर में स्थित समायरा सर्जिकल फैक्टरी में सोमवार-मंगलवार की दरम्यानी रात को अचानक आग लग गई। सूचना मिलने के बाद बानमोर एवं मुरैना से पहुंचें दमकल वाहनों ने कई घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। अग्निकांड में फैक्टरी में डेढ़ करोड़ से अधिक का नुकसान होने का अंदेशा है।

बानमोर व मुरैना के दमकल वाहनों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू

औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत सेवा गांव स्थित समायरा सर्जिकल लिमिटेड फैक्टरी में सोमवार की रात को नाइट शिफ्ट में चार श्रमिक काम कर रहे थे। देर रात करीब 12.30 बजे अचानक फैक्टरी में आग लग गई। फैक्टरी के प्रबंधक डॉ. अनिल कुमार राजपूत ने बताया कि प्लांट में काम कर रहे श्रमिक लखन एवं विपिन ने रात करीब 1 बजे फोन पर कॉल कर आग लगने की सूचना दी। आग लगने की सूचना मिलने के बाद नगरपालिका बानमोर और नगर निगम मुरैना के दमकल वाहन मौके पर पहुंच गए थे। दमकल वाहनों ने लगातार कई घंटे की मशक्कत कर पानी फेंककर आग पर काबू पाया। तब तक फैक्टरी में रखी मशीनों सहित अन्य सामान जलकर राख में तब्दील हो चुका था। प्रबंधक के अनुसार अग्निकांड की वजह शॉर्ट सर्किट का होना रहा। प्रबंधक डॉ. राजपूत ने बताया कि करीब तीन साल पहले ही प्लांट में उत्पादन प्रक्रिया चालू हुई थी। प्लांट से दूसरे व तीसरे दिन गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा को तैयार माल भेजा जाता था। अग्निकांड में फैक्टरी में डेढ़ करोड़ से अधिक का नुकसान होने का अनुमान बताया जा रहा है।

12 वर्षीय बालिका को बंधक बनाकर गैंगरेप, वीडियो बनाया

नवभारत न्यूज

मुरैना, 17 फरवरी। शहर के सिद्धनगर क्षेत्र में रहने वाली 12 वर्षीय बालिका के साथ उसकी दोस्त के भाई सहित तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और मोबाइल फोन से वीडियो भी शूट कर लिया। गैंगरेप की घटना विगत 15 फरवरी को होना बताई गई है।

शहर के सिद्धनगर इलाके में हुई घटना, तीन नामजद आरोपियों पर एफआईआर

कोतवाली पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर तीन युवकों के विरुद्ध बंधक बनाकर सामूहिक दुष्कर्म किए जाने सहित पॉक्सो एक्ट की धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली है।

जानकारी के अनुसार शहर के सिद्धनगर क्षेत्र में रहने वाली 12 वर्षीय पायल (बदला हुआ नाम) विगत 15 फरवरी की शाम करीब 6 बजे घर के पास ही रहने वाली अपनी सहेली के घर पहुंचीं थी। जब वे दोनों घर में बात कर रही थी। तभी सहेली के ताऊ का पुत्र अमित बघेल वहां पहुंचा और पायल से काम होने की बात कहकर उसे दूसरे कमरे में ले गया। कमरे में पहले से ही अमित के दोस्त नितिन पुत्र अशोक बघेल एवं नीलू बघेल पुत्र अशोक बघेल मौजूद थे। उन तीनों ने पायल को बुरी नीयत से छूना और तंग करना शुरू कर दिया। जिसके बाद अमित एवं नीलू बाहर निकले और कमरे को बाहर से बंद कर दिया। कमरे में नितिन ने उसके साथ दुष्कर्म किया, कमरे की खिड़की के बाहर से नितिन और नीलू ने मोबाइल फोन से वीडियो शूट कर लिया। तभी पीड़िता पायल की सहेली ने अमित को दरवाजा खोलने को कहा, लेकिन अमित ने उसे डांटकर भगा दिया। पीड़िता ने अपने घर पहुंचकर मां को घटना की जानकारी दी। 17 फरवरी को पिता के घर पहुंचनें पर पीड़िता उनके साथ सिटी कोतवाली पहुंचीं और पुलिस को घटना की जानकार दी। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट सहित बंधक बनाकर गैंगरेप किए जाने की धाराओं में अपराध दर्ज कर लिया है।

हाईस्कूल बोर्ड परीक्षा : अंग्रेजी के पेपर में 5 नकचली पकड़े

नवभारत न्यूज

मुरैना, 17 फरवरी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मप्र के तत्वावधान में आयोजित की जा रहीं बोर्ड परीक्षाओं के तहत 17 फरवरी को 10वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय के पेपर का आयोजन हुआ। जिले में 76 परीक्षा केन्द्रों पर हुई परीक्षा में कुल 952 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान 5 परीक्षार्थियों को अनुचित साधनों का प्रयोग करते हुए पकड़ा गया।

जिला शिक्षा अधिकारी बीएस इंदौलिया ने बताया कि हाईस्कूल के अंग्रेजी विषय की परीक्षा में पंजीकृत 29 हजार 214 परीक्षार्थियों में से 28 हजार 262 परीक्षार्थी उपस्थित रहे, जबकि

जिले में 76 परीक्षा केन्द्रों पर हुआ आयोजन, 952 रहे अनुपस्थित

952 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। परीक्षा के दौरान जिले में 5 नकल प्रकरण दर्ज किए गए। इनमें एमजी मेमोरियल पब्लिक स्कूल, न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी मुरैना में एक, शासकीय आईटीआई शिक्षण संस्थान मुरैना में 2, शासकीय विज्ञान महाविद्यालय जौरा में 1 तथा अशासकीय शांति निकेतन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अंबाह में 1 प्रकरण शामिल है। 17 फरवरी को हायरसेकेंडरी के ड्राईंग विषय का पर्चा भी संपन्न हुआ। जिसमें एक परीक्षार्थी उपस्थित रहा। डीपीएसई की द्वितीय परीक्षा में कुल 27 पंजीकृत परीक्षार्थियों में से 22 उपस्थित तथा 5 अनुपस्थित पाए गए।

चिन्नौनी-पोरसा में रेत से भरे 2 ट्रैक्टर-ट्रॉली पकड़े, 2 गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

मुरैना, 17 फरवरी। चिन्नौनी एवं पोरसा थानों की पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चंबल की रेत का अवैध रूप से परिवहन करते हुए दो ट्रेक्टर-ट्रॉलियों को जब्त किया है।

दोनों ट्रेक्टरों के ड्राईवरों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध अपराध दर्ज किए गए है। चिन्नौनी थाना प्रभारी एसआई एसडी बाथम ने मुखबिर की सूचना पर चंबल नदी के होराबरा घाट के पास से रेत से भरे सोनालिका ट्रेक्टर-ट्रॉली को जब्त कर ड्राईवर को गिरफ्तार किया। एक अन्य कार्रवाई में पोरसा पुलिस ने भिंड रोड के बायपास पर चैक पाइंट लगाकर चंबल नदी की रेत से भरे महिन्द्रा ट्रेक्टर-ट्रॉली को पकड़ा। पुलिस ने ड्राईवर को गिरफ्तार किया है। ट्रेक्टर ड्राईवरों के विरुद्ध संबंधित थानों की पुलिस ने मप्र खनिज अधिनियम की धाराओं में अपराध पंजीबद्ध कर लिए है।

जनगणना के कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता से पूर्ण करें : रावत

नवभारत न्यूज

मुरैना, 17 फरवरी। भारत की जनगणना-2027 का कार्य प्रदेश स्तर पर प्रारंभ हो चुका है। इसी क्रम में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार, मुरैना में जनगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया।

प्रथम चरण के तहत 1 मई से 30 मई तक होगा मकानों का सूचीकरण

कार्यक्रम में चंबल संभाग आयुक्त सुरेश कुमार ने राजस्व अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि जनगणना देश का अत्यंत महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य है, इसलिए इसे पूरी गंभीरताए सावधानी एवं समयसीमा में त्रुटिरहित ढंग से संपन्न करना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि जनगणना के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य 1 मई से 30 मई तक किया जाएगा। जबकि द्वितीय चरण में जनसंख्या गणना फरवरी- 2027 में की जाएगी। आयुक्त ने निर्देश दिए कि इस कार्य के लिए ऐसे कर्मचारियों का चयन किया जाए, जो स्वस्थ हों, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित न हों, एक वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त न होने वाले हों तथा जिनकी अन्य आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों। उन्होंने बताया कि जनगणना-2027 में आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए स्व-गणना पोर्टल, मोबाइल एप्प (एचएलओ एप्प) के माध्यम से आंकड़ों का संकलन किया जाएगा। मकान सूचीकरण ब्लॉक का सृजन एचएलबीसी वेब पोर्टल से तथा जनगणना प्रबंधन एवं निगरानी कार्य सीएमएमएस पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। कार्यक्रम में भोपाल से आए मास्टर ट्रेनर डॉ. रघुवंश मणि ने अधिकारियों को जनगणना प्रक्रिया, तकनीकी व्यवस्थाओं एवं पोर्टलों के उपयोग संबंधी विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया। इस अवसर पर प्रशिक्षण जिला जनगणना अधिकारी, समस्त अनुविभागीय जनगणना अधिकारी, जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, जनगणना सहायक, लोक सेवा केंद्र प्रबंधक सहित संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

जनगणना चुनाव के समान महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व : कलेक्टर

कलेक्टर एवं प्रमुख जिला जनगणना अधिकारी लोकेश कुमार जांगिड़ ने कहा कि जनगणना कार्य चुनाव के समान अत्यंत महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दायित्व है, इसलिए इसमें प्रत्येक अधिकारी-कर्मचारी की जिम्मेदारी, अनुशासन एवं सजगता आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कार्य को पूर्ण पारदर्शिता, समन्वय एवं समयबद्ध तरीके से संपन्न कराया जाए तथा लंबे अवकाश पर रहने वाले कर्मचारियों को इस कार्य में शामिल न किया जाए। उन्होंने बताया कि जिले की 8 तहसीलों, 8 नगरीय क्षेत्रों एवं 847 ग्रामों में जनगणना कार्य संपादित किया जाएगा। प्रथम चरण के लिए जिला स्तर पर 7 अधिकारी, 14 चार्ज अधिकारी, 2 मास्टर ट्रेनर, 76 फील्ड ट्रेनर, 4574 प्रगणक एवं 770 पर्यवेक्षकों की तैनाती की जाएगी।

नि :शुल्क शिविर में नेत्र मरीजों का हुआ परीक्षण एवं उपचार

नवभारत न्यूज

मुरैना, 17 फरवरी। समाजसेवी स्व. फौजदार सिंह सिकरवार की स्मृति में बागचीनी क्षेत्र के प्राचीन नील हनुमान मंदिर पर नि:शुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन 17 फरवरी को हुआ। इस शिविर में

समाजसेवी स्व. फौजदार सिंह की स्मृति में नील हनुमान मंदिर पर आयोजन

विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों का परीक्षण कर उपचार की सलाह दी।

इस मौके पर जिला पंचायत के पूर्व उपाध्यक्ष मानवेन्द्र सिंह सिकरवार गांधी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता उदयवीर सिकरवार मुख्य रूप से उपस्थित थे। शिविर में ग्वालियर के रतन ज्योति नेत्रालय के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. राजीव भार्गव और उनकी टीम ने मरीजो का परीक्षण किया और उपचार की सलाह दी। इस दौरान मोतियाबिंद से पीड़ित एक सैकड़ा से अधिक मरीजों को ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया। इस मौके पर मानवेन्द्र सिंह सिकरवार एवं उदयवीर सिंह सिकरवार ने स्मृति शिविर के आयोजन की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के शिविरों के आयोजन से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्यलाभ मिलता है। शिविर में आनंद सिकरवार, सरपंच प्रेमसिंह सिकरवार, महंत रामे परिहार, रामप्रकाश सिंह, कुलदीप सिकरवार, पूर्व सरपंच कल्लू पटेल, बलवीर परमार, सुल्तान सिंह, फेरन सिंह, नारद सिंह, लोचन सिंह, तुलाराम सिंह, मन्नी सिंह, राजवीर सिंह, रामनिवास, सोनू, दीपेंद्र सिंह आदि उपस्थित थे।

जिले में दस्तक अभियान का दूसरा चरण शुरू, 19 मार्च तक चलेगा

नवभारत न्यूज

मुरैना, 17 फरवरी। दस्तक अभियान के द्वितीय चरण का शुभारंभ मंगलवार को जिला चिकित्सालय में किया गया। मुख्य

9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को पिलाई जाएगी विटामिन-ए की खुराक

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पदमेश उपाध्याय के मार्गदर्शन में जिला चिकित्सालय स्थित टीकाकरण केंद्र पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. अजय गोयल द्वारा बच्चों को विटामिन-ए की खुराक पिलाकर अभियान का विधिवत शुभारंभ किया गया। दस्तक अभियान का द्वितीय चरण 17 फरवरी से 19 मार्च तक संचालित रहेगा।

अभियान के अंतर्गत 9 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों को विटामिन-ए की खुराक पिलाई जाएगी। इसके साथ ही एनीमिक बच्चों की पहचान कर उनकी जांच, उपचार, प्रबंधन एवं फॉलोअप किया जाएगा। कुपोषित एवं गंभीर एनीमिक बच्चों को आवश्यकता अनुसार पोषण पुनर्वास केंद्र के लिए रेफर किया जाएगा। अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग के मैदानी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर-घर जाकर बच्चों में दस्त, निमोनिया, कुपोषण एवं एनीमिया की जांच, उपचार एवं प्रबंधन सुनिश्चित करेंगे। इस अवसर पर जिला कार्यक्रम प्रबंधक एसपी श्रीवास्तव, मीडिया अधिकारी श्रीमती बंसती बाजौरिया, डिप्टी मीडिया अधिकारी श्रीमती शिवकुमारी निम, एपीएम अशोक भगौरिया, जिला अस्पताल प्रबंधक रविन्द्र प्रजापति सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

एक नजर में

जिपं सीईओ ने किया परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण

मुरैना, 17 फरवरी। माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्यप्रदेश के तत्वावधान में आयोजित की जा रही बोर्ड परीक्षाओं के तहत 17 फरवरी को 10वीं कक्षा के अंग्रेजी विषय का पेपर संपन्न हुआ। मंगलवार को परीक्षा के दौरान उड़नदस्ते लगातार विभिन्न केंद्रों का भ्रमण करते हुए निगरानी करते रहे। इसी क्रम में जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने शासकीय आईटीआई परीक्षा केन्द्र पहुंचकर परीक्षाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा व्यवस्था स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण रूप से संचालित होती हुई पाई गई।

जनगणना : राजस्व अधिकारियों का प्रशिक्षण आज

नगरीय निकायों के लिए प्रशिक्षण 19 व 20 फरवरी को

मुरैना, 17 फरवरी। जनगणना-2027 की तैयारियों के अंतर्गत कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशानुसार जिले में अधिकारियों एवं कर्मचारियों का चरणबद्ध प्रशिक्षण संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में राजस्व अधिकारियों का प्रशिक्षण 18 फरवरी को प्रात: 11 बजे से कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान जनगणना कार्य की प्रक्रिया, तकनीकी प्रावधानों तथा दायित्वों के संबंध में विस्तृत जानकारी प्रदान की जाएगी। नगरीय निकायों से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों का प्रशिक्षण 19 एवं 20 फरवरी को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित होगा।

जनसुनवाई : जिपं सीईओ ने 222 आवेदकों की सुनी समस्याएं

नवभारत न्यूज

मुरैना, 17 फरवरी। कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ के निर्देशन में जिला मुख्यालय पर 17 फरवरी को जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने कलेक्ट्रेट में आमजन की समस्याओं को सुना। इस दौरान उनके द्वारा 222 आवेदकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। इनमें किसान सम्मान निधि, भूमि विवाद, नामांतरण, सीमांकन, आवास, राशन तथा पुलिस संबंधी आवेदन प्रमुख रूप से शामिल रहे। सीईओ जिला पंचायत ने प्राप्त आवेदनों के त्वरित, प्रभावी एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर अश्विनी कुमार रावत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

चम्बल आयुक्त ने 15 आवेदकों की समस्याओं को सुना

संभागीय मुख्यालय स्थित चम्बल भवन में 17 फरवरी को जनसुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत चम्बल संभाग आयुक्त सुरेश कुमार द्वारा कुल 15 आवेदकों की विभिन्न समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुना गया। प्राप्त आवेदनों में मुख्य रूप से राजस्व, पुलिस तथा भूमि विवाद से संबंधित प्रकरण शामिल थे। आयुक्त सुरेश कुमार ने सभी आवेदनों को संवेदनशीलता एवं गंभीरता के साथ सुनते हुए प्रत्येक प्रकरण की संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। उन्होंने आवेदकों को आश्वस्त किया कि सभी लंबित प्रकरणों का नियमानुसार, पारदर्शी एवं समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाएगा।

महामाया मंदिर न्यास प्रबंध समिति का निर्वाचन कार्यक्रम घोषित

नवभारत न्यूज

मुरैना, 17 फरवरी। श्री मूर्ति महामाया मन्दिर न्यास मुरैना की प्रबंध समिति के निर्वाचन की तिथि की घोषणा कर दी गई है। न्यासी नत्थालाल बाथम एवं तदर्थ समिति के संयोजक दिनेश बाथम ने एडवोकेट राजप्रताप सिंह डंडौतिया को निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया है।

उन्होंने बताया कि न्यास के बॉयलॉज के अनुसार निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। 18 फरवरी से 27 फरवरी तक सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। 15 मार्च को निर्वाचन प्रक्रिया आयोजित होगी। इसी दिन परिणाम की घोषणा और प्रमाण पत्र वितरित किए जाएगें। निर्वाचन कार्यक्रम का विवरण महामाया मन्दिर के सूचना पटल पर चस्पा किया गया है। बाथम

मांझी समाज के लोग सदस्यता प्राप्त कर निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे।

मुरैना-पहाड़गढ़ जनपद में पीडीएस दुकान के लिए आवेदन 28 तक

मुरैना, 17 फरवरी। मप्र शासन, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग भोपाल द्वारा दुकान विहीन ग्राम पंचायतों में उचित मूल्य दुकान खोलने के संबंध में निर्देश प्राप्त हुए हैं। निर्देशों के अनुक्रम में पात्र संस्थाएं मप्र सहकारी सोसायटी अधिनियम- 1960 की धारा 10 की उपधारा-1 के अंतर्गत वर्गीकृतद्ध, उपभोक्ता सोसायटी, विपणन सोसायटी, उत्पादक सोसायटी, संसाधन सोसायटी, बहुउद्देश्यीय सोसायटी, महिला स्व-सहायता समूह तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अनुविभागीय अधिकारी, जौरा एवं अनुविभागीय अधिकारी मुरैना से प्राप्त जानकारी के अनुसार विकासखण्ड पहाड़गढ़ एवं मुरैना की ग्राम पंचायतों में नवीन दुकानों का आवंटन किया जाना है। जिला आपूर्ति नियंत्रकए मुरैना ने बताया कि विकासखण्ड पहाड़गढ़ की ग्राम पंचायत सिकरौदा, खेड़ा हुसैनपुर एवं खुटियानीहार में तथा विकासखण्ड मुरैना की ग्राम पंचायत बड़ागांव नावली, जखौना, रिठौराकलां, जतावर, जारह एवं बरेथा में नवीन उचित मूल्य दुकानों का आवंटन किया जाना प्रस्तावित है। इच्छुक पात्र समूहों एवं संस्थाओं से नवीन शासकीय उचित मूल्य दुकान आवंटन हेतु 19 फरवरी से 28 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

आम सूचना

श्रीमती प्रीति पत्नी श्री सूरज सिंह के स्वत्व, स्वामित्व व आधिपत्य की अचल सम्पत्ति भूखण्ड क्र.18, स्थित विशाल कॉन्वेन्ट स्कूल के पीछे, दाऊजी नगर, ग्राम मुरैनागाँव, तहसील एवं जिला मुरैना (म.प्र.) में है जो नगर पालिका निगम मुरैना वार्ड क्र.06 (शास्त्री वार्ड) में स्थित है जो भूमि सर्वे क्र.950 एवं 954 ग्राम मुरैनागाँव का भाग है एवं जिसका क्षेत्रफल 59.01 वर्गमीटर है और जिसकी चर्तुसीमा निम्न प्रकार है :-पूर्व में-भूखण्ड डॉली शर्मा, पश्चिम में-भूखण्ड क्र.19, उत्तर में-भूमि दीगर एवं दक्षिण में-रास्ता 20 फुट चौड़ा है। उक्त सम्पत्ति एवं संलग्न अन्य सम्पत्ति पूर्व में श्री रघुनाथ सिंह, श्री राजकुमार, श्री रामावतार, श्री वृंदावन, श्री ओमप्रकाश, श्री कमलेश, श्री सुरेन्द्र पुत्रगण श्री विशाल सिंह, विमला, गोपिका पुत्रियां श्री विशाल सिंह, श्रीमती महादेवी पत्नी स्व. श्री विशाल सिंह, श्री शिवदत्त पुत्र श्री लक्ष्मीनारायण, श्रीमती द्रोपती पत्नी स्व. श्री लक्ष्मीनारायण के संयुक्त स्वत्व स्वामित्व की थी। श्री वृंदावन का स्वर्गवास हो जाने के उपरांत, उनके उत्तराधिकारी श्रीमती रामदुलारी पत्नी स्व. श्री वृंदावन, श्री लोकेन्द्र एवं श्री पीयूष पुत्रगण स्व. श्री वृंदावन उनकी सम्पत्ति के मालिक हुये एवं भू-राजस्व रिकॉर्ड में अपना नाम इंद्राज कराया गया। श्री लोकेन्द्र डंडौतिया द्वारा उक्त सम्पत्ति का एक भाग सम्पत्ति 425 वर्गफुट एरिया श्रीमती सरिता दिनकर पत्नी श्री महेश को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25792021ए1893492 दिनांक 22.10.2021 से विक्रय की गई। श्रीमती गोपिका द्वारा उक्त सम्पत्ति का दूसरा भाग सम्पत्ति 210 वर्गफुट एरिया श्रीमती सरिता दिनकर पत्नी श्री महेश को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी25792022511308930 दिनांक 30.12.2022 से विक्रय की गई। श्रीमती सरिता दिनकर द्वारा उक्त सम्पत्ति श्रीमती प्रीति पत्नी श्री सूरज सिंह को ई-रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्र.एमपी 27 आईजीआर 17912025ए100471139 दिनांक 13.06.2025 से विक्रय की गई। श्रीमती प्रीति द्वारा उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार वित्तीय संस्थान पिरामल कैपीटल एण्ड हाउसिंग फायनेंस लि. शाखा ग्वालियर (म.प्र.) के समक्ष बंधक किया जाकर ऋण प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है। इस कारण जिस किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, निगम अथवा निकाय एवं उक्त सर्वे क्रमांको के अन्य सहस्वामियों को एवं श्री वृंदावन के अन्य उत्तराधिकारियों को उक्त सम्पत्ति को मेरे पक्षकार के पक्ष में बन्धक किये जाने अथवा उक्त सम्पत्ति के स्वत्व स्वामित्व, एवं आधिपत्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आपत्ति होने पर एवं अन्य प्रकार के हित निहित होने पर दस्तावेज सहित मेरे कार्यालय में अथवा मेरे पक्षकार के कार्यालय में लिखित आपत्ति मय दस्तावेज इस सूचना प्रकाशन के 7 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के समाप्त होते ही उपरोक्त वर्णित अचल सम्पत्ति मेरे पक्षकार के पक्ष में बंधक की जाकर ऋण प्रदान करने की कार्यवाही की जावेगी। तत्पश्चात हर प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर शून्य होगी। कृपया सूचित हो।

प्रेषक

नीरज जैन, एडवोकेट

कार्या भवन क्र.52. कैलाश विहार,फेडरल बैंक के पास, सिटी सेन्टर, ग्वालियर (म.प्र.)

मो.नं. 98276-72710